न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 141/2019

आरसीएमएस नं0 2019/00141

फूमण सिंह पुत्र हिम्मत सिंह जाति राय सिख निवसी 33 एस.टी.जी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

बनाम

1. जलन्धर सिंह पुत्र अलबेल सिंह जाति जट सिख निवासी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जट सिख निवासी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, पीलीबंगा।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.02.2019
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, पीलीबंगा
अनवान "जलन्धर सिंह बनाम बलविन्द्र सिंह आदि" प्र. सं. 299/18

उपस्थितिः—

श्री धीर सिंह बराड़, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जसपाल सिंह दहिया, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1
श्री मदन गोपाल मेहरड़ा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2
श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

निर्णय

दिनांक 03.06.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या–1 जलन्धर सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए विरूद्व रेस्पोडेंट संख्या–2 बलविन्द्र सिंह आदि के विरूद्व पेश किया। [illegible] में कथन किया कि वादी ने तहसील पीलीबंगा के चक 33 एसटीजी [illegible] जमाबंदी सम्वत 2072 से चालू का खाता संख्या 36/34 पत्थर नम्बर [illegible] किला नम्बर 13/.114, 14 ता 18, 20/2/.215 की 1.594 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर [illegible]/340 मु[illegible]8 किला नम्बर 4/.240 5/.025, 7/.038 8/[illegible]3/.025, 19/.025 [illegible] 013 की 0.429 हैक्टेयर कुल 2.023 हैक्टेयर नाली प्रथम मय गैरमुमकिन कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार है व प्रतिवादी नम्बर–1 के नाम वाकै तहसील पीलीबंगा का चक 33 एसटीजी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2072 से चालू खाता संख्या 65 में पत्थर नम्बर 11/340 (78) किला नम्बर 8/2/.177, 9/1/.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

215, 9/2/.038 की .430 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड खातेदारी है व तत्कालीन जमाबंदी सम्वत 2030 से चालू खाता संख्या 29 का पत्थर नम्बर 12/339 किला नम्बर 11 ता 13, 19 ता 21 व पत्थर नम्बर 11/339 किला नम्बर 15 ता 18, 22 ता 25 व पत्थर नम्बर 11/340 किला नम्बर 2, 3, 4/19 बिस्वा, 5, 7 ता 9, 11, 12, 13, 19, 20 कुल 18 बीघा 2 बिस्वा नाली द्वितीय 8 बिस्वा मय गैर मुमकिन कृषि भूमि बलदेव सिंह वगैरह का खाता में वादी का पिता अलबेल सिंह व प्रतिवादी नम्बर–1 का पिता बलदेव सिंह के नाम 273 हिस्सा का 2/3 हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है व तत्कालीन तहसील सूरतगढ़ हाल तहसील पीलीबंगा चक 33 एसटीजी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2018 से चालू खाता संख्या 20 का पत्थर नम्बर 12/339 किला नम्बर 11 ता 13, 19 ता 21 व पत्थर नम्बर 11/339 किला नम्बर 15 ता 18, 22 ता 25 व पत्थर नम्बर 11/340 किला नम्बर 2 ता 5, 7 ता 9, 11, 12, 13, 19, 20 कुल 18 बीघा 2 बिस्वा नाली द्वितीय 6 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि बालू वल्द लाखा जाति ओड साकिन लुढ़ाणा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। बैयनामा जो उप पंजीयक सूरतगढ़ का दिनांक 27.09.965 का पंजीयन शुदा है, के जरिये वादी का पिता स्व.अलबेल सिंह पुत्र जंग सिंह व प्रतिवादी संख्या–1 का पिता स्व.बलदेव सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जट सिख निवासी अमरपुरा राठान तत्कालीन तहसील सूरतगढ़ हाल तहसील पीलीबंगा ने विक्रेता बालू वल्द लाखा जाति ओड साकिन लुढ़ाणा हाल तहसील पीलीबंगा तहसील सूरतगढ़ हाल तहसील पीलीबंगा चक 33 एसटीजी का पत्थर नम्बर 12/339 किला नम्बर 11, 12/19 बिस्वा, 19/2 बिस्वा, 20/19 बिस्वा, 21/3 बिस्वा, 13/1 बिस्वा की 3 बीघा 4 बिस्वा, पत्थर नम्बर 11/339 किला नम्बर 15/18 बिस्वा, 16/18 बिस्वा, 17, 18, 22 ता 24, 25/17 बिस्वा की 6 बीघा 13 बिस्वा व पत्थर नम्बर 11/340 किला नम्बर 2, 3, 4/19 बिस्वा, 5/2 बिस्वा, 7/3 बिस्वा, 8/19 बिस्वा, 9, 11/18 बिस्वा, 12/19 बिस्वा, 13/2 बिस्वा, 19/2 बिस्वा, 20/1 बिस्वा की 7 बीघा 1 बिस्वा कुल 18 बीघा 2 बिस्वा नाली प्रथम मय 6 बिस्वा गैर मुमकिन कुल 18 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा खरीद शुदा है व क्रेतागण के नाम से राजस्व रिकार्ड हुई है। उक्तानुसार वादी की उक्त पिता स्व.अलबेल सिंह व प्रतिवादी नम्बर–1 की उक्त पिता स्व.बलदेव सिंह की जरिये उक्त दस्तावेज पंजीयन शुदा बैयनामा के खरीदशुदा कृषि भूमि घरू बंटवारा में प्राप्त होकर हाल तहसील पीलीबंगा चक 33 एसटीजी का पत्थर नम्बर 11/340 (78) का किला नम्बर 11/.228, 12/.240 की कुल .468 हैक्टेयर नाली द्वितीय कृषि भूमि आज से 39–40 वर्षों से वादी व प्रतिवादी नम्बर–1 बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चली आ रही है जिसके वादी प्रतिवादी संख्या–1 बहिस्सा बराबर मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने का हकदार है। जबकि वरवक्त भू–प्रबंध विभाग द्वारा [illegible] के समय सम्वत 2035 से 2044 में राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय [illegible] एसटीजी पत्थर नम्बर 11/340(78) का किला नम्बर 11/.228, 12/.240 की कुल .468 हैक्टेयर नाली द्वितीय कृषि भूमि को उक्त तहसील [illegible] एसटीजी की जमाबंदी में दर्ज होना भू–प्रबंध विभाग से छूट गया है जिससे भू–प्रबंध विभाग को गलत जमाबंदी बनाने का कोई हक नहीं है। इस तहसील पीलीबंगा के चक 33 एसटीजी का पत्थर नम्बर 11/340 (78) का किला नम्बर 11/.228, 12/.240 की कुल .468 हैक्टेयर नाली द्वितीय कृषि भूमि को तहसील पीलीबंगा के चक 33 एसटीजी की जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

चालू में दर्ज किये जाने व इस 0.468 हैक्टेयर कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या–1 बहिस्सा बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने का भी वादी कानूनन हकदार है जो कि राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। उक्त वाद के जरिये वादी ने इस आशय की घोषणा चाही कि तहसील पीलीबंगा के चक 33 एसटीजी के पत्थर नम्बर 11/340 (78) का किला नम्बर 11/.228, 12/.240 की कुल .468 हैक्टेयर नाली द्वितीय कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर–1 को बहिस्सा बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस सम्मन जारी किये। वादी व प्रतिवादी संख्या–1 के बीच दिनांक 21.01.2019 को राजीनामा प्रस्तुत होने पर तस्दीक किया गया व प्रतिवादी संख्या–2 का जवाब पेश हुआ जिसमें राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय व डिक्री करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनकर दिनांक 01.02.2019 को वाद पत्र डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ने मिलीभगत कर वाद पत्र में वर्णित धोखे से अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि जमाबंदी में भिराज पुत्र अनूपा जाति ओड के नाम दर्ज है। भिराज पुत्र अनूपा को पक्षकार नहीं बनाया। अपीलांट ने चक 33 एसटीजी के पत्थर नम्बर 10/339 किला नम्बर 12/2/.100 व पत्थर नम्बर 11/340 किला नम्बर 11/.228, 12/1/.025, 12/2/.215 कुल .595 हैक्टेयर भूमि भिराज पुत्र अनूपा से जरिये बैयनामा दिनांक 20.07.2018 को खरीद की। जमाबंदी में टंकन की गलती से पत्थर नम्बर 10/340 दर्ज हो गया जबकि उक्त भूमि पत्थर नम्बर 11/340 की है। प्रश्नगत भूमि अपीलांट के आधिपत्य व धारण में है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा धारा 96 सीपीसी पर बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि जुलाई 2018 में उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलांट के नाम दर्ज थी। वाद पत्र दिनांक 16.10.2018 को पेश किया गया। अपीलांट उक्त पत्रावली में आवश्यक पक्षकार है तथा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। दफा–5 मियाद अधिनियम पर अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को दिनांक 16.07.2019 को रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा चक 33 एसटीजी की भूमि में जब वह कार्य कर रहा था तब रेस्पोडेंट संख्या–1 ने उपरोक्त [illegible] का कथन करते हुए कब्जा छोड़ने के लिए कहा जिस पर अपीलांट ने [illegible] 2019 को नकलें प्राप्त की, तब अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री [illegible] हुआ इससे पूर्व नहीं था। अन्त में निवेदन किया कि अपील [illegible]कार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:55 IST
Reason: SelfAttested

4. रेस्पोडेंटके अधिवता ने उक्त मिमो ऑफ अपील का जवाब प्रस्तुत किया हुआ है तथा उन्हीं कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के पिता अलबेल सिंह व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता बलदेव सिंह ने विक्रेता बालू वल्द लाखा जाति ओड निवासी लुढाणा से खरीद की जिसका नामान्तरण दिनांक 15. 07.1969 को क्रेतागण के नाम दर्ज हुआ जिसके बैयनामें व इन्तकाल आदेश व इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपियां अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट अने प्रस्तुत की हुयी है। तत्पश्चात् उपरोक्त खरीदशुदा भूमि घरू बंटवारा में प्राप्त हुई तथा चक 33 एसटीजी का पत्थर नम्बर 11/340 किला नम्बर 11/.228, 12/.240 कुल .468 हैक्टेयर कृषि भूमि आज से 43–44 वर्षों से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के आधिपत्य व धारण में बहिस्सा बराबर चली आ रही है, लेकिन भू–प्रबंध विभाग द्वारा बन्दोबस्त के समय सम्वत् 2035–2044 में राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय उपरोक्त .468 हैक्टेयर भूमि दर्ज करने से रह गई जिसकी घोषणा का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था। रेस्पोडेंट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार नहीं है क्योंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री चक 33 एसटीजी के पत्थर नम्बर 11/340 किला नम्बर 11/.228, 12/.240 कुल .468 हैक्टेयर भूमि है जो रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करने की घोषणा चाही गई थी तथा उपरोक्त भूमि दो किलों/दो कितों में है जबकि अपीलांटने चक 333 एसटीजी के पत्थर नम्बर 10/340 किला नम्बर 11/.2278, 12/1/.025, 12/2/.215 की .498 हैक्टेयर भूमि खरीद की है जो तीन बीघों के तीन कितों में है। इस सम्बंध में रेस्पोडेंट ने अपीलांट द्वारा खरीदशुदा बैयनामेंजात की प्रतिलिपि व नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें विक्रयशुदा भूमि का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से कोई सम्बंध नहीं है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किसी भी रूप से प्रभावित नहीं है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का शुरू से ही ज्ञान रहा है। लगभग 165 दिन की देरी बाबत कोई समुचित कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया है तथा अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट विशेष हर्जाना सहित खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

4. उभय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. सर्वप्रथम धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री चक 33 एसटीजी के पत्थर नम्बर 11/340 किला नम्बर 11/.228, 12/.240 कुल .468 हैक्टेयर कृषि भूमि के सम्बंध में पारित की गई है। अपीलांट ने उपरोक्त .468 हैक्टेयर भूमि में अपना हक व हिस्सा होने अथवा खरीदशुदा होने के सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये बल्कि इसके विपरीत रेस्पोडेंट ने अपीलांट द्वारा जो भूमि खरीद की गई है, उसके बैयनामेंजात व नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible] पत्थर नम्बर 10/339 किला नम्बर 12/2/.127 व पत्थर नम्बर [illegible] किला नम्बर 11/.228, 12/1/.025, 12/2/.215 दर्ज [illegible] इसी अनु[illegible] नामान्तरण दर्ज है जबकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री चक [illegible] नम्बर 11/340 किला नम्बर 11/.228, 12/.240 कुल [illegible] कृषि भूमि के सम्बंध में पारित की गई है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में पारित भूमि के सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने व इसके विपरीत रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की रोशनी में अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार नहीं है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

परिस्थितियों में अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज होने हाने के कारण अपील अपीलाण्ट भी खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

3/6/22
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:51:55 IST
Reason: SelfAttested